प्रेषक.

आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में.

समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1

देहरादुनः

दिनांक: 28 सितम्बर, 2021

विषयः Relaxation in utilization of fund under District Mineral Foundation (DMF) for activities taken up to combat COVID-19 under Pradhan Mantri Garib Kalyan Package (PMGKP). महोदय

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-407/VII-A-1/16, दिनांक 31 मार्च, 2020 एवं शासनादेश संख्या-806/VII-A-1/2020/8 (ख)/16, दिनांक 29 जून, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें. जिसके द्वारा खान मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र ख्या-7/2/2020-MIV, दिनांक 28 मार्च, 2020 एवं अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-7/2/2020-MIV, दिनांक 11 जून, 2020 के क्रम में जिला खजिन फाउन्डेशन न्यास निधि से कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु परीक्षण, स्कीनिंग और अन्य उपकरणों की खरीद/स्थापना हेतु शिथिलींकरण प्रदान किया गया है।

- 2— इस सम्बन्ध में अपर सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या—7/2/2020—MIV, दिनांक 25 अगस्त, 2021 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खान मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या—7/2/2020—MIV, दिनांक 28 मार्च, 2020 के कम में निर्गत शासनादेश संख्या—407/VII-A-1/16, दिनांक 31 मार्च, 2020 को निम्नवत संशोधित समझा जाय :
 - a. It is to be ensured that the expenditure related to COVID-19 does not exceed thirty (30)percent of the balance funds available with DMF as on 31.03.2021.
 - b. Funds can be utilized for purchase/installation of necessary medical equipments or creation of medical infrastructure including Oxygen plant. Oxygen cylinders and oxygen concentrators as per the guidelines of Ministry of Home Affairs and Ministry of Health and Family Welfare in all districts having DMF. Fund can also be used for purchase of approved medicines and consumables for treatment of COVID-19 in Government Hospitals in mining affected areas, if other available funds are not sufficient as certified by the District Magistrate.

3— शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2020 एवं शासनादेश दिनांक 29 जून, 2020 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(आर. मीनाक्षी सुन्दरम) सचिव।

संख्या : 1553 (1)/VII-A-1/2021, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2- समस्त जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से.